# राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

मुख्यालय, जयपुर।

कमांकः—एफ /मु./सुरक्षा/2026/01. दिनांकः— 2.1.2026

## कार्यालय आदेश

निगम द्वारा ई निविदा संख्या 1/2025 के द्वारा अनुबन्ध पर सिविल सुरक्षा प्रहरी लिये जाने हेतु निविदा जारी की गई। प्राप्त निविदा प्रस्तावों में निविदा शर्तो अनुसार दो फर्मो को सफल घोषित किया। जिसमें एल—2 मैसर्स एसएलवी सिक्यूरिटी सर्विसेज प्रा0 लि0 जेएमके टॉवर एनएच—8,मुचैल न0—44,किला न0—5 कपासेरा न्यू देहली—110037 को कार्यालय आदेश कमांक 96 दिनांक 18.09.2025 के द्वारा 109 सिविल सुरक्षा प्रहरी विभिन्न इकाईयों में उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त के कम में फर्म द्वारा दिनांक 26.09.2025 को बैंक गारण्टी (बैंक गारण्टी न0 0021NDLG00010326) राशि 580,000/—रू प्रस्तुत की गई एवं 29.09.2025 को अनुबंध पत्र सम्पादित किया गया।

विभिन्न आगारों एवं ईकाईयों से सुरक्षा प्रहरी उपलब्ध नही करवाये जाने एवं सुरक्षा प्रहरियों को भुगतान नहीं किये जाने के सम्बन्ध में पत्र प्राप्त होने पर निगम द्वारा फर्म को अपना पक्ष रखने हेतु पत्र कमांक 115 दिनांक 30.10.2025,123 दिनांक 14.11.2025 एवं 134 दिनांक 01.12.2025 को नोटिस जारी किये गये, परन्तु फर्म द्वारा इन पर कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। अपने कार्य में शिथिलता के सम्बंध में प्रतिउत्तर के स्थान पर मैसर्स एसएलवी सिक्यूरिटी सर्विसेज प्रा0 लि0 जेएमके टॉवर एनएच—8,मुचैल न0—44,किला न0—5 कपासेरा न्यू देहली—110037 द्वारा दिनांक 17.11.2025 को निविदा की शर्त संख्या 29 के अर्न्तगत कार्य जारी रखने में असमर्थता जताते हुए एक माह का नोटिस जारी कर दिया गया।

निगम आगार द्वारा अनुबंध की शर्त अनुसार पैनल्टी 10,54,920/—रू लगाते हुए फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल की राशि 4,14,742/—रू जब्त करने एवं फर्म से शेष रही पैनल्टी 6,40,178/—रू के संबंध में पत्र प्रस्तुत किया गया । मैसर्स एसएलवी सिक्यूरिटी सर्विसेज प्रा0 लि0 जेएमके टॉवर एनएच—8,मुचैल न0—44,किला न0—5 कपासेरा न्यू देहली—110037 को निगम द्वारा पत्र कमांक 141 दिनांक 15.12.2025 प्रेषित किया गया जिस पर भी फर्म द्वारा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया ।

मुख्यालय से बार—बार नोटिस देने के उपरान्त भी मैसर्स एसएलवी सिक्यूरिटी सर्विसेज प्रा0 लि0 जेएमके टॉवर एनएच—8,मुचैल न0—44,किला न0—5 कपासेरा न्यू देहली—110037 द्वारा कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया है। एसएलवी सिक्यूरिटी सर्विसेज प्रा0 लि0 जेएमके टॉवर एनएच—8,मुचैल न0—44,किला न0—5 कपासेरा न्यू देहली—110037 द्वारा निगम सम्पती की सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरती गई है। अनुबन्ध सम्पादित किये जाने के उपरान्त भी मैसर्स एसएलवी सिक्यूरिटी सर्विसेज प्रा0 लि0 जेएमके टॉवर एनएच—8,मुचैल न0—44,किला न0—5 कपासेरा न्यू देहली—110037 द्वारा अनुबन्ध की शर्तो की पालना नहीं की गई है जो की अनुबन्ध की शर्तो का स्पष्टतः उल्लघंन एवं निगम सम्पत्ती की सुरक्षा में लापरवाही का द्योतक है।

मैसर्स एसएलवी सिक्यूरिटी सर्विसेज प्रा0 लि0 जेएमके टॉवर एनएच—8,मुचैल न0—44,किला न0—5 कपासेरा न्यू देहली—110037 के विरूद्व अनुबंध की शर्त संख्या 21 एवं आरटीपीपी 46(4) नियमानुसार ICICI Bank द्वारा जारी सुरक्षा राशि, (बैंक गारण्टी न0 0021NDLG00010326) जब्त करते हुए संस्था का अनुबन्ध समाप्त करते हुये तीन वर्ष के लिए निगम से विवर्जित (Debar) किया जाता है।

उक्त सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

02/1/26

( चाँद मल वर्मा )
कार्यकारी निदेशक ( प्रशासन )

I.T. 29
7/01/26